न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न0:–62/2020 रजू दिनांकः– 21.09.2020

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

शी पत्नि रामदयाल जाति मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।

सायला

बनाम

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र बैरीसाल जाति राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।
3. धनवन्ती पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी राजौर तहसील टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायला

श्री विष्णु कंटक एडवोकेट गैरसायलान न0 1

निर्णय दिनांकः– 23.02.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस ार है कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 1338/0.27, 1339/0.09, 1343/0. , 1344/0.12, 1345/0.63, 1346/0.58 कुल किता 6 कुल रकवा 2.10 है0 मे सायला हिस्सा 1/3, गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/3 तथा दावे के प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/3 तेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 सायला को जरिये जस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कराकर कब्जा करा दिया लेकिन उक्त आराजी की खातेदारी यला के नाम नही हो सकी है। क्योकि दावे के प्रतिवादी न0 2 का 1/3 हिस्सा बी.ओ.बी. लघाट मे रहन है चूकि उक्त आरजी रहन मुक्त होने पर सायला के नाम खातेदारी होना भव हो सकेगी।

बॉका दिनांक 9.9.2020 का है कि सायला अपनी आराजी की देखभाल कर रही कि गैरसायल न0 1 अपने साथ हमराहीयान को लेकर आया। सायला के कब्जे शुदा राजी को दिखाने लगा। सायला द्वारा पूछने पर कहने लगा कि मेरी इनसे उक्त आराजी ो बेचान की बातचीत हो गयी है मै उक्त आराजी का विक्रय इनके हक मे करा रहा हूँ। इस र सायला द्वारा कहा गया कि बेचान करना है तो करो लेकिन पहले आराजी का बटवारा रा लेते है। इस पर गैरसायल न0 1 द्वारा स्पष्ट मना कर दिया कहा कि मै कही नही ाउगॉ ना ही बटवारा कराउॅगा। गैरसायल न0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो ायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना संभव नही हो सकेगी। इसलिये ार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस सायला है, सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे साबित है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से रसायल को कोई क्षति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायल को इस उम्र से पाबन्द नाया जावे कि भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 1338/0.27, 1339/0.09, 1343/0. 1344/0.12, 1345/0.63, 1346/0.58 कुल किता 6 कुल रकवा 2.10 है0 मे सायला के से की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायला को बेदखल नही । मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया । गैरसायलान न01, 3 की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश ा। परन्तु गैरसायल न0 1 की और से जबाब पेश करने के कई अवसर दिये जाने के न्त भी जबाब पेश नही किये जाने से इनका जबाब बन्द किया गया। प्रतिवादी न0 3 की से जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी दारी सायला 1/3 हिस्से की, प्रतिवादी न0 2, 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 5 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 1 के नाम किसी भी प्रकार की दारी होना स्वीकार नही है। ना ही प्रतिवादी न0 1 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सायला बॉका दिनांक 9.9.2020 की घटना मनगढंत व झूठी है। प्रतिवादी न0 1 ने अपनी सम्पूर्ण जी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2020 को ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण जीयात का विक्रय पत्र धनवन्ती के हक मे करा दिया तो उक्त भूमि पर गैरसायल न0 1 जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिये सायला द्वारा समस्त इबारत कपोल कल्पित ायला का प्राईमाफेसी केस साबित नही है। ना ही सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायला न0 3 को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ा पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी कुल 6 कुल रकवा 2.10 है0 मे सायला बहिस्सा 1/3, गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/3 तथा के प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/3 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 2 द्वारा अपना र्ण हिस्सा 1/3 सायला को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कराकर कब्जा करा दिया के प्रतिवादी न0 2 का 1/3 हिस्सा बी.ओ.बी. बालघाट मे रहन है इसलिये उक्त आराजी खातेदारी सायला के नाम नही हो सकी। गैरसायल न0 1 सायला की आराजी का ा व्यक्ति के हक मे करा रहा है। गैरसायल न0 1 अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये ायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना संभव नही हो सकेगी। प्राईमाफेसी सायला के पक्ष मे है, सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे साबित है अस्थायी निषेधाज्ञा होने से गैरसायल को कोई क्षति नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान ाबन्द किया जावे कि वर्णित आराजीयात मे सायला के कब्जे काश्त मे मजाहमत ़लत नही करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 3 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी [illegible] 1/3 हिस्से प्रतिवादी न0 2, 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 5 [illegible] का खातेदार दर्ज र्ड है। प्रतिवादी न0 1 के नाम किसी भी प्रकार की खातेदारी होना स्वीकार नही है। ना तिवादी न0 1 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 1 ने अपनी सम्पूर्ण आराजी का टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2020 को ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का ा पत्र धनवन्ती के हक मे करा दिया। इसलिये सायला का प्राईमाफेसी केस साबित नही ा ही सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42.50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सायला न0 3 को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही हो गी। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का लोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे ला सुरेशी देवी पत्नि रामदयाल हिस्सा 1/3, गैरसायल न0 1 बिजेन्द्र सिह पुत्र बैरीसाल हिस्सा 1/3, तथा प्रेमसिह पुत्र नन्द सिंह हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज र्ड है। पत्रावली मे शामिल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2018 से खातेदार प्रेमसिह नन्द सिंह जाति राजपूत द्वारा सायला सुरेशी पत्नि रामदयाल मीना के हक मे अपना पूर्ण हिस्से का बेचान किया गया है। एवं गैरसायलान न0 3 की और से प्रस्तुत रजिस्टर्ड य पत्र दिनांक 21.08.2020 से गैरसायल न0 1 बिजेन्द्र सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह द्वारा सायल न0 3 धनवन्ती पत्नि रामसिंह मीना निवासी राजौर को अपना सम्पूर्ण हिस्से का न किया गया है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी अनुसार उक्त दोनो विक्रय पत्रो का स्व रिकार्ड मे अमल नही होने से खातेदारी दर्ज नही हुई है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय सायला व गैरसायल न0 3 के हक मे साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा शिक स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 1338/0.27, 1339/0.09, 3/0.41, 1344/0.12, 1345/0.63, 1346/0.58 कुल किता 6 कुल रकवा 2.10 है0 मे यपक्षकारान को ता दावा फैसला अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया ा।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:50 IST
Reason: SelfAttested